

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
अधिसूचना

संचिका सं०:-05/अ०प्र०-01-11/2024

235

पटना, दिनांक- 8/1/25

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक 13.10.2023 में सन्नहित प्रावधान के आलोक में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित ए०एम०आई०ई० अथवा समकक्ष अर्हताधारी कनीय अभियंताओं (असैनिक) को 10 प्रतिशत निर्धारित कोटा के अधीन बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 में वेतनमान सहित (पे मैट्रिक्स रू० 53100-1,67,800/-पे लेवल-09) में सहायक अभियंता (असैनिक) के पद का अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:-

क्र०सं०	नाम	गृह जिला	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2024 के अनुसार)
1	2	3	4
1	श्री मंगल मंडल	भागलपुर	24
2	श्री आशुतोष कुमार	समस्तीपुर	28
3	श्री प्रणित कुमार	नवादा	29
4	श्री बिनय कुमार सिंह	गोपालगंज	30
5	श्री चंदन कुमार	पटना	37
6	श्री संतोष कुमार ठाकुर	बांका	38
7	श्री प्रिंस कुमार गौतम	पूर्णियाँ	42
8	श्री अविनाश	गया	43
9	श्री रवि शंकर कुमार	पटना	44
10	श्री राजेश कुमार	जमुई	46
11	श्री जितेन्द्र कुमार यादव	जमुई	48
12	श्री मुकेश कुमार	लखीमपुर (खीरी), (उत्तर प्रदेश)	53
13	श्री अशोक कुमार अमर	मधुबनी	54
14	श्री सुबोध कुमार	अरवल	57
15	श्री राम बाबू महतो	बेगुसराय	59
16	श्री संतोष कुमार चौबे	गोपालगंज	65

17	श्री धर्मेन्द्र कुमार	नालंदा	66
18	श्री नागेन्द्र कुमार	गया	67
19	श्री ओम प्रकाश कुमार	औरंगाबाद	70
20	श्री रंजन कुमार	औरंगाबाद	71
21	श्री जय प्रकाश गुप्ता	खगड़िया	72
22	श्री मृत्युंजय कुमार	नालंदा	74
23	श्री मनोज साह	सुपौल	75
24	श्री अनिल कुमार	नवादा	77
25	श्री पप्पु कुमार	खगड़िया	78
26	श्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांसु	मधुबनी	79
27	श्री ऋषि राज	जहानाबाद	84
28	मो0 जाहिद अख्तर	गोपालगंज	90

- यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक 13.10.2023 में निहित शर्तों के अध्याधीन है।
- उपर्युक्त कर्मियों/पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक अभियंता के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।
- कार्यकारी व्यवस्था की यह प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या 4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य सम्बद्धवादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश एवं माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में ए0एम0आई0ई0 अथवा समकक्ष अर्हताधारी कनीय अभियंताओं से संबंधित अन्यवादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से होने की शर्त पर औपबधिक रूप से प्रदान की जा रही है।
- (क) संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक वर्तमान धारित पदस्थापन पर ही उत्क्रमित पद सहायक अभियंता (असैनिक) का प्रभार ग्रहण करेंगे तथा अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त पूर्व धारित पद कनीय अभियंता (असैनिक) का कार्य भी पूर्ववत् करते रहेंगे।
(ख) अस्थायी स्थानांतरण कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गई अन्तर राशि की भी वसूली कर ली जायेगी।
- यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित हो तो:-
(क) संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को आवेदन संबोधित कर शुद्धिपत्र निर्गत करने का अनुरोध किया जाय।

- (ख) अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार में अगर कोई कठिनाई हो, तो विभागीय संयुक्त सचिव से सम्पर्क स्थापित कर वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत करायेंगे।
7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(कुमार अनिल सिंहा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-05/अ0प्र0-01-11/2024 236

पटना, दिनांक- 8-1-25

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-05/अ0प्र0-01-11/2024 236

पटना, दिनांक- 8-1-25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-05/अ0प्र0-01-11/2024 236

पटना, दिनांक- 8-1-25

प्रतिलिपि:-विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित भविष्य निधि पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-4/सभी संबंधित स्थानापन्न कार्यकारी प्रभारी सहायक अभियंता/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-05/अ0प्र0-01-11/2024 236

पटना, दिनांक- 8-1-25

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त विभाग एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव